

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-द्वितीय

क्रमांक : स्था0 / 37 / 2021 /2315

दिनांक: 02/05/2024

--: आदेश :-

(A)

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था./09/2022/6090 दिनांक 16.12.2023 के द्वारा श्रीमती पुष्पा बिष्ट, शरिस्तेदार/रीडर ग्रेड-III/लिपिक ग्रेड-I के रिक्त पद पर पदोन्नति दी जाने के फलस्वरूप राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के तहत पे लेवल एल-08 (पूर्व वेतनमान PB1-5200-20200 में ग्रेड पे-2800/-) के अन्तर्गत एतद्वारा निम्नानुसार वेतन निर्धारित किया जाता है:-

| क्र० सं० | कर्मचारी का नाम, पद व न्यायालय का नाम (सर्व श्री) | पदोन्नति से पूर्व धारित पद व उक्त पद पर आहरित वेतन | पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की दिनांक व उक्त पद पर वेतन स्थिरीकरण पर मूल वेतन व आगामी वेतनवृद्धि दिनांक |
|----------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | पुष्पा बिष्ट (03) रीडर/शरिस्तेदार ग्रेड-III/लिपिक ग्रेड-I न्यायालय:- अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम सं० 04, जयपुर महानगर-II | लिपिक ग्रेड-II 36400/- (L-05) | 03.01.2024 मूल वेतन 38600/- पे-लेवल (L-08) देय दिनांक 03.01.2024 आ.वेतनवृद्धि दि 01.07.2024 |

(B)

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था./09/2022/3848 दिनांक 23.08.2023 के द्वारा श्री राजू वर्मा, च०श्रे०क० को तामिल कुनिन्दा के रिक्त पद पर पदोन्नति दी जाने के फलस्वरूप राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के तहत पे लेवल एल-04 (पूर्व वेतनमान में ग्रेड पे-2000/-) के अन्तर्गत एतद्वारा निम्नानुसार वेतन निर्धारित किया जाता है:-

| क्र० सं० | कर्मचारी का नाम, पद व न्यायालय का नाम | पदोन्नति से पूर्व धारित पद व उक्त पद पर आहरित वेतन | पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की दिनांक व उक्त पद पर वेतन स्थिरीकरण पर मूल वेतन व आगामी वेतनवृद्धि दिनांक |
|----------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री राजू लाल वर्मा तामिल कुनिन्दा न्यायालय:- जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-II तामिल कुनिन्दा के पद पर पदोन्नति दिनांक 23.06.2022 | च.श्रे.क. 01.07.2021 31100/- (L-03) वर्तमान में पूर्व में स्वीकृत वेतन वृद्धिया:- 32000(L-03)01.07.2022 33000(L-03)01.07.2023 | 06.11.2023 23.06.2022 से नोशनल/काल्पनिक लाभ देय हैं 32700/- (L-4)23.06.2022 33700/- (L-4) 01.07.2022 34700/- (L-4)01.07.2023 कर्मचारी को काल्पनिक रूप से वेतनवृद्धियां दिनांक 01.07.2022 से दिनांक 01.07.2024 तक देय होगी एवं वास्तविक फायदे वित्तीय लाभ अनुज्ञय/देय दिनांक:-01.07.2025 से देय होंगे। आगामी वेतनवृद्धि दिनांक 01.07.2024 काल्पनिक (नोशनल) आधार पर देय होगी। |

नोट:-

- उपरोक्त तालिका (A) में उल्लेखित कर्मचारी श्रीमती पुष्पा बिष्ट का उपरोक्तानुसार पदोन्नति पर वेतनस्थिरीकरण राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना No.F.15(1)/FD/Rules/2017 Part II दिनांक 26.07.2023 के अनुसार पदोन्नति पर आगामी पे-लेवल में उच्चतर सैल में वेतन निर्धारित किया गया है एवं उक्त कर्मचारी को समस्त वित्तीय लाभ उपरोक्तानुसार पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण की दिनांक से देय होंगे।
- उपरोक्त तालिका (B) में उल्लेखित श्री राजू लाल वर्मा की पदोन्नति तामिल कुनिन्दा के पद पर राजस्थान सरकार के कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक सं.एफ.7(1)कार्मिक/क-2/95/पार्ट दिनांकित 16.03.2023 व 24.05.2023 के अनुसार की जाने पर वित्तीय लाभ निम्नानुसार देय होंगे:-
 - श्री वर्मा को दिनांक 01.07.2022 से दिनांक 01.07.2024 तक वार्षिक वेतनवृद्धियां काल्पनिक रूप से देय होगी और ऐसे तीन वर्षों के पश्चात् इन्हें दिनांक 01.07.2025 से ऐसी वेतनवृद्धियों के वास्तविक फायदे

-sd-
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर द्वितीय

अनुज्ञय/देय होंगे, तथापि, ऐसी काल्पनिक वेतनवृद्धियों के लिये कोई बकाया संदत्त नहीं किया जावेगा।

- श्री वर्मा की उपरोक्तानुसार पदोन्नति दिनांक 23.06.2022 से किये जाने पर इन्हे उक्त 23.06.2022 से ही मूलवेतन रूपये 32700/- के आधार पर काल्पनिक लाभ एवं दिनांक 06.11.2023 से दिनांक 30.06.2025 तक समस्त वित्तीय लाभ (मूलवेतन रूपये 32700/- से) देय होंगे।
 - श्री वर्मा को उपरोक्तानुसार पदोन्नति पर वेतनस्थिरीकरण राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी एक अन्य अधिसूचना No.F.15(1)/FD/Rules/2017 Part II दिनांक 26.07.2023 के अनुसार पदोन्नति पर आगामी पे-लेवल में उच्चतर सैल में वेतन निर्धारित किया गया है।
 - यदि श्री वर्मा को तीन पश्चात्कर्ती वर्ष 2022, 2023 व 2024 में पदोन्नति दिनांक 23.06.2022 को किये गये वेतनस्थिरीकरण (मूलवेतन 32700/-) के मूलवेतन से यदि पूर्व में किसी वर्ष में अधिक मूलवेतन से वित्तीय लाभ अथवा अधिक वेतन का भुगतान किया गया है, तो उसकी नियमानुसार वसूली की जावे।
 - श्री वर्मा को उपरोक्तानुसार वेतनवृद्धियों का वास्तविक/वित्तीय लाभ दिनांक 01.07.2025 से देय होंगा।
3. उपरोक्त आदेश का इन्द्राज तालिका (A) व (B) में उल्लेखित कर्मचारीगण की सेवा-पुस्तिकाओं/सेवारोल में नियमानुसार किया जावे।

- 8/-
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर-द्वितीय

क्रमांक : स्था0 / 37 / 2021 / 2316
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक : 02 / 05 / 2024

1. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-द्वितीय
2. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर
3. संबंधित न्यायालय, जयपुर महानगर-द्वितीय। (संलग्न सेवापुस्तिकाएं)
4. संबंधित कर्मचारी
5. सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी पत्र आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर-द्वितीय